

न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी

मु0न0..... 04/2016

स्टेट.....

बनाम देवी लाल / अशोक प्राम

सा0 24/5/16 तह. रावतसर

निर्णय दिनांक 26/9/16

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी ~~दा. प्र. प्र.~~ ने रिपोर्ट की है कि खसरा न0 69/1/15 रकबा 2.530 गौचर/जोहड़पायतान/रकबा राज/सिवाय चक परफसल खरीफ ~~अक्टूबर-2015~~ में नाजायज काशत की है।


रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के काशतकारी अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया। अप्रार्थी ने अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के गहन अध्ययन, मनन एवम् विवेचन करने पर पाया कि अप्रार्थी अतिक्रमी है। इस लिये काशतकारी अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा दण्डस्वरूप सामान्य भूराजस्व का 50 गुणा तावान 250 रूपये ~~दंड~~ मात्र कायम किया जाता है।

रजिस्टर में मांग कायमी हेतु टी0आर0ए0 को लिखा जावे तथा भू-राजस्व निरीक्षक को लिखा जावे कि अतिक्रमित क्षेत्र में बोई गई फसल की निलामी कर, निलामी फर्द पेश करें। हल्का पटवारी को लिखा जावे कि अतिक्रमित क्षेत्र से भौतिक रूप से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करें तथा तावान की राशि वसूल करें।

निर्णय आज दिनांक 26/9/16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

'घ' रजिस्टर के पेज नम्बर 15 की
क्रम संख्या 13 पर तावान रुकम/निलामी
Rs. 960 दर्ज किया गया।


DRA


उप पंजीयक

पल्लू